प्रेषक,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।

सेवा में,

समस्त उप शिक्षा अधिकारी,
जनपद– देहरादून

पत्रांकः प्र0राज0बे0–1,2/2001-04/वा0स्था0/2024–25 दिनांक 06 जुलाई, 2024

विषयः– **प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत शिक्षकों के वार्षिक स्थानान्तरण काउन्सिलिंग के माध्यम से किए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्र संख्याः प्रा0शि0से0–दो(05)/781(1)–2024/6134/2024–25 दिनांक 04 जुलाई, 2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि ''उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–1016/XXIV-B-1/24/07(04)/2016 दिनांक 04–07–2024 के प्रस्तर–03 में निम्नवत् निर्देश दिये गये हैंः–

"वर्तमान स्थानान्तरण सत्र हेतु विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत समस्त शिक्षकों के स्थानान्तरण/तैनाती (इस प्रतिबन्ध के साथ कि किसी भी दशा में 'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017' का उल्लंघन न होने पाए) काउंसिलिंग के माध्यम से किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है"

उक्त के कम में जनपदान्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग में कार्यरत शिक्षकों (प्र0अ0/स0अ0, रा0प्रा0वि0/रा0उ0प्रा0वि0) के स्थानान्तरण (सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र/अनुरोध एवं दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र) काउन्सिलिंग के माध्यम से की जानी है। सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र की पात्रता एवं शिक्षकों द्वारा अनुरोध के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में स्थानान्तरण हेतु आवेदन की श्रेणीवार पात्रता सूची विभागीय वैबसाईट **www.schooleducation.uk.gov.in** पर अपलोड की जा रही है। इस सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ कार्यरत/स्थानान्तरण हेतु पात्र शिक्षकों को **दिनांक 08 जुलाई, 2024 को प्रातः 9.30** बजे जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून के कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। काउन्सिलिंग हेतु निम्नांकित निर्देशों से अवगत होना सुनिश्चित करेंः–

1. पात्रता सूची के 15 प्रतिशत के सापेक्ष एवं उपलब्ध रिक्ति के आधार पर सहायक अध्यापक, रा0प्रा0वि0 में ''सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र'' हेतु 37 शिक्षक पात्र हैं। ''अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण'' शासनादेश दिनांक 14 मार्च 2024 में दी गयी व्यवस्थानुसार की किए जायेंगे। ''दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र'' में स्थानान्तरण पात्रता सूची के 15 प्रतिशत के सापेक्ष एवं उपलब्ध रिक्ति जैसी भी स्थिति हो, के सापेक्ष किए जायेंगे।
2. पात्रता सूची के 15 प्रतिशत के सापेक्ष एवं उपलब्ध रिक्ति के आधार पर प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 में ''सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र'' हेतु 02 शिक्षक पात्र हैं। अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण शासनादेश दिनांक 14 मार्च 2024 में दी गयी व्यवस्थानुसार की किए जायेंगे। दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण पात्रता सूची के 15 प्रतिशत के सापेक्ष एवं उपलब्ध रिक्ति जैसी भी स्थिति हो, के सापेक्ष किए जायेंगे।
3. पात्रता सूची के 15 प्रतिशत के सापेक्ष एवं उपलब्ध रिक्ति के आधार पर सहायक अध्यापक, रा0उ0प्रा0वि0 में ''सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र'' हेतु 09 (विषय–भाषा, विज्ञान/गणित, सामान्य) शिक्षक पात्र हैं। पात्रता सूची के 15 प्रतिशत के सापेक्ष एवं

उपलब्ध रिक्ति के आधार पर प्रधानाध्यापक, रा0उ0प्रा0वि0 में ''सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र'' हेतु कोई भी शिक्षक पात्र नहीं हैं। अनुरोध के आधार पर 01 प्र0अ0 पात्र हैं।

4. काउन्सिलिंग सर्वप्रथम रा0उ0प्रा0वि0 के प्र0अ0/स0अ0 की होगी तत्पश्चात् लगभग **अपराह्न 12:00 बजे** से रा0प्रा0वि0 के शिक्षकों की काउन्सिलिंग होगी।
5. यदि कोई कार्मिक ''सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र'' हेतु पात्रता श्रेणी में आता हो और उनके द्वारा काउन्सिलिंग में प्रतिभाग नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित शिक्षक को अवशेष रिक्तियों में से स्थान आवंटित किया जायेगा।
6. ''दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र'' हेतु पात्र जिन कार्मिकों द्वारा दुर्गम में बने रहने का विकल्प दिया गया है स्थानान्तरण में उनसे अग्रेत्तर कार्मिकों पर विचार किया जायेगा।
7. ''दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र'' हेतु पात्र जिन कार्मिकों द्वारा कोई विकल्प नहीं दिया गया है अथवा काउन्सिलिंग में प्रतिभाग नहीं किया जाता तो उन्हें स्थानान्तरण अधिनियम में दी गयी व्यवस्थानुसार अवशेष रिक्तियों में से स्थान आवंटित कर दिया जायेगा।
8. पात्रता सूची में उन कार्मिकों के नाम भी सम्मिलित हैं जिनके द्वारा सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण में छूट/लाभ प्रदान किए जाने हेतु राज्य चिकित्सा परिषद/दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये गये हैं। इस सम्बन्ध में विभागीय स्थानान्तरण समिति/चिकित्सक के निर्णयानुसार सम्बन्धित शिक्षकों को छूट/लाभ प्रदान किया जायेगा।

कृपया उक्तानुसार अवगत होते हुए अपने अधीनस्थ कार्यरत शिक्षकों को आज ही अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(भुवनेश्वर प्रसाद)
प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रा0शि0, देहरादून

पृष्ठांकन संख्याः प्र0राज0बे0–1,2/ 2001-04 /2024–25 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निर्धारित तिथि को आप भी काउन्सिलिंग में आमन्त्रित हैं।
3. एम0आई0एस0 प्रभारी, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा को इस आशय के साथ कि काउन्सिलिंग हेतु सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र, अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण एवं दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में होने वाले स्थानान्तरण की पात्रता सूची विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
देहरादून